आज दिनांक 21.01.2022 को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ओफाज की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना 20,000 हे0 के क्रियान्वयन के लिए Service Providers/ Certification Agencies एवं Bio- Input Manufacturer के चयन हेतु प्रकाशित Request for Empanelment (RFE) के माध्यम से सूचीबद्ध किये जाने हेतु Pre- Bid की बैठक की कार्यवाही :-

---

दिनांक 21.01.2022 को ओफाज अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना 20,000 हे0 अन्तर्गत के क्रियान्वयन के लिए Service Providers/ Certification Agencies एवं Bio- Input Manufacturer के चयन हेतु प्रकाशित Request for Empanelment (RFE) के माध्यम से सूचीबद्ध किये जाने हेतु Zoom-App पर Virtual Method से Pre- Bid की बैठक आहूत की गई :-

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ओफाज द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

- बैठक में सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ओफाज द्वारा दिनांक 21.01.2022 को संदर्भित विषय पर आहूत Pre- Bid की बैठक में चर्चा की गई।
- ओफाज अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना 20,000 हे0 में क्रियान्वयन के लिए Request for Empanelment (RFE) का प्रारूप तैयार कर ओफाज एवं झारखण्ड सरकार की e-procurement portal पर अवलोड किया गया एवं बैठक की सूचना को प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया।
- उक्त बैठक में (RFE) का के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई एवं Virtual Method से उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव दिये गये उनको ध्यान में रखते हुये निम्न निर्णय लिए गये :-

प्रमाणीकरण संस्था (Certification Agency) के साथ हुये विचार विमर्श के विन्दु

प्रमाणीकरण संस्था अदिति ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के प्रतिनिधि के द्वारा पुछा गया कि झारखण्ड राज्य का GST अनिवार्य है या किसी भी राज्य का GST जमा किया जा सकता है।

उक्त अनुरोध के आलोक के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ओफ़ाज द्वारा बताया गया की झारखण्ड राज्य में निबंधित न होने की परिस्थिति में कार्य में मिलने के उपरान्त

झारखण्ड राज्य में GST का निबंधित करना अनवार्य है, जिसका उल्लेख Tender Bid के Annexure-1 के क्रम सं0 7 में भी किया गया है :-

In case of non-registration in Jharkhand, Registration with Jharkhand commercial taxes Department is mandatory. Any firm registered with commercial tax department of other State has to be registered in Jharkhand within three months from the date of registration.

सेवा प्रदाताओं (Servive Providers) के साथ हुये विचार विमर्श के विन्दु

सेवा प्रदाता संस्था की ओर से किसी प्रकार का सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

उपादान आपूर्तिकर्ताओं (Bio- Input manufacturer) के साथ हुये विचार विमर्श के विन्दु

1. एक प्रतिभागी द्वारा ये सुझाव दिया गया कि जैविक उपादानों के उत्पादन में 10 वर्षो के अनुभव को घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाय।

2. एक प्रतिभागी द्वारा ये सुझाव दिया गया कि जैविक उपादान आपूर्तिकर्ताओं को दो राज्यों के सरकारी विभागों में अनुभव की जगह किसी एक राज्य में आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।

3. एक प्रतिभागी द्वारा ये सुझाव दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में Average Annual Turnover को 02 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ किया जाय।

4. इसी क्रम में Zenith Dye-Chem Pvt. Ltd, Kolkata के पत्रांक 42/21-22 दिनांक 22.01.2022 के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज को पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें इस आशय का उल्लेख है कि "With reference to the above mentioned subject we want to inform you that on behalf of our company I attended the Pre-bid meeting for Supply of Organic Farm inputs, which was held on dated 21/01/2022 by OFAJ. We have grievances on marking parameters set in Page no, 26, Sl. No. 3- () of Annexure-IV (Techno Evolution Sheet) where we have seen that 10 marks is set for 2 Cr- 10Cr, but here it is notable that lower limit 2Cr is very low, it should be minimum to show the good agencies for the supply of quality products for the larger interest of organic farmers. If lower turnover companies will be selected then definitely quality products could not be delivered to the farmers, ultimately entire organic mission of the state will be hampered. Then who will be responsible for that? Lower marking criteria clearly indicates that favouring of some lower grade agencies So please accept our suggestion to upgrade the lower limit of 2Cr-10Cr to 5Cr-10Cr in Average Annual Turnover Criteria Le 3 () of Annexure-IV Our company have strong objection in the above mentioned subject."

5. साथ ही A.M. Biotech, Delhi के पत्रांक AMB/14/22 दिनांक 22.01.2022 के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज को पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें इस आशय का उल्लेख है कि "With reference to the above cited subject we would to inform you that on dated 21/01/2022 (Friday) @ 2:30 PM our organization "A.M. Biotech, New Delhi" has participated in pre-bid meeting of bio input tender which has conducted by OFAJ.

We have grievances on few parameter, we are happy to see that the criteria which has set in technical parameters are based on quality and it's very relevant but if we are looking in Marking parameter [Section III: Eligibility Criteria / 3.2 Technical Eligibility/ Point no. (xvi) / Page no. 17] where we have seen that 50 marks is set in qualifying criteria.

As per our suggestion it should be at least 70 marks or more for quality in marking parameter. So, that quality based companies can qualify and farmers will get good quality of value added products. Why you are taking lower categories companies. So, far whatever tender if floated earlier by OFAJ we have seen that minimum 60 marks in qualifying criteria, then why you are degrading the marking parameter, we could not understand the intension behind this, it seems clearly favoring of any lower marks criteria company by degrading the tender criteria."

6. साथ ही Fast well Sales pvt. Ltd., Kolkata के पत्रांक L-39/22 दिनांक 24.01.2022 के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज को पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें इस आशय का उल्लेख है कि " उपर्युक्त प्रसंगाधीनुसार दिनांक 21.01.2022 को अपराह्न 2:30 को आपके द्वारा प्रकाशित ई-निविदा में Pre-Bid meeting का आयोजन किया गया था, जिसमे हमारी कंपनी ने भी भाग लिया था। जिसमें Annexure-iv के क्रमांक 1 के उप क्रमांक (i),(ii) एवं (iii) जिसमें जैविक कार्य इन्पुट से संबंधित अनुभव को 10-12 वर्षो के लिये 10 नम्बर, 12-15 वर्षो के लिए 15 नम्बर एवं 15 वर्ष के लिए 20 नम्बर मांगा गया है, के बारे में कहना है कि चूंकि Organic उद्योग भारत में लगभग 25-30 वर्ष पुराना है। अतः इस परिप्रेछ्य में झारखंड के जैविक खेती से जुड़े कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले ज्यादा अनुभवी कम्पनीयों का चुनाव ओफाज द्वारा करना चाहीए। इस सन्दर्भ में हमारा सुझाव यह है कि ऑर्गेनिक फार्म इन्पुट के सप्लाई के लिए Manufacturing का अनुभव से संबंधित सप्लाई के लिए अनुलग्नक (iv) के क्रमांक (1) में निमन सुधार की आवश्यकता है।

i. 15-20 वर्ष के लिये 10 नम्बर
ii. 20-25 वर्ष के लिये 15 नम्बर

iii. 25-30 वर्ष के लिये 20 नम्बर

अतः महाशय से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त सुझाव को मानते हुए आवश्यक Corrigendum निकालने की कृपा करें। विदित् हो कि इसमें आपको कोई असुविधा नही होनी चाहिए क्योंकि यह सर्वविदित है कि प्रीबीड के बाद निवीदा शर्तो को शिथील नही किया जा सकता है, परन्तु उसे अपग्रेड किया जा सकता है, अतः कृषकों के हित में उपरोक्त से संबंधित संसोधन किया जाय। (अनुलग्नक संलग्न)

निर्णय- उपरिवर्णित कंडिका 1,2,3,4,5 एवं 6 द्वारा प्राप्त सुझावों के संबंध में ध्यातव्य है कि :-

(क) अभियुक्तिः Organic Certification is a value added & Quality conscious programme. So to maintain the quality we are looking for experienced organic input manufacturer which gives confirmation regarding the brand value of their product and their long standing presence in the market.

(ख) निविदा प्रक्रिया के संबंध में केन्द्रीय सर्तकता आयोग (Central Vigilance Commission) के Guidelines के Clauses 9.9.2 (Viii & X) में दिये गये निर्देश अधोलिखित है :-

a. "Eligibility criteria changed/ relaxed during evaluation, thus favouring the few chosen ones and discriminating against other capable ones."

b. "Tender terms and conditions / specifications are not relaxed to favour any bidder(s)." So we can't give any relaxation in any pre-qualification criteria (Technical eligibility criteria) during the tender process. If we will not get competent agencies as per given pre-qualification criteria ((Technical eligibility criteria) then we will go for re-tender where we can decided to give relaxation on certain parameters.

अतः उक्त के आलोक में निर्णय लिया गया कि तकनीकी मापदंड में किसी तरह का शिथिलता न देते हुये तकनीकी अहर्ता योग्यता यथावत रखी जाय।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि RFE Documents में किसी तरह का कोई बदलाव नही किया जायेगा तथा उक्त RFE Documents यथावत रहेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
ओफाज, राँची।